भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4651
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्र

4651. श्री रुद्र नारायण पाणी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जन औषधि केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;
(ख) इस अभियान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) ओडिशा के अंगुल और ढेंकनाल जिलों में कितने जन औषधि केन्द्र और दुकानें हैं; और
(घ) लोगों के बीच जन औषधि के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, सरकार द्वारा इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क): योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो नियमित रूप से निम्नलिखित उपायों सहित कई कार्यकलाप संचालित करता है:

(i) विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टरों और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और कॉमन सर्विस सेंटरों पर टीवी स्क्रीन से विज्ञापन जारी करना;
(ii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आउटरीच कार्यकलाप; तथा

(iii) प्रति वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाना।

(ख): औषध विभाग समय-समय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और जिला प्रशासनों से इस योजना के संबंध में जागरूकता सृजित करने तथा सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए किराया-मुक्त स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है।

(ग): ओडिशा राज्य में दिनांक 28.2.2025 तक कुल 682 जेएके खोले गए हैं, जिनमें अंगुल जिले में 16 जेएके और धेन्कनाल जिले में 25 जेएके शामिल हैं।

(घ): जन औषधि केंद्रों पर सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता के लिए, एक परिपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को सशक्त करने के लिए देश भर में 36 वितरक नियुक्त किए गए हैं। 400 गतिशील (फास्ट-मूविंग) उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, 200 दवाओं के लिए न्यूनतम स्टॉकिंग अनिवार्यता लागू की गई है, जिसमें योजना उत्पाद टोकरी में 100 सबसे अधिक बिक्री होने वाली दवाएं और बाजार में 100 शीघ्रता से बिक्री होने वाली दवाएं शामिल हैं। स्टॉकिंग अनिवार्यता के तहत, जन औषधि केंद्र मालिक उनके द्वारा रखे गए उक्त 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार, जेएके को दवाओं की आपूर्ति मालगोदामों और वितरकों की प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है और निगरानी और प्रोत्साहन प्रणाली जेएके को अत्यधिक मांग वाले उत्पादों का भंडारण रखने के लिए संस्थापित की गई है। जेएके को उद्यमिता मॉडल पर चलाया जा रहा है, उत्पादों का वास्तविक भंडारण उनकी मांग के आधार पर उद्यमियों द्वारा किया जाता है।

*****